

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 20/2017

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

बनाम

श्री विनय चन्द्र जैन पिता अमृतलाल जैन, मेसर्स संभव किराणा स्टोर, जलोदा जागीर, तहसील
छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़


— अप्रार्थी

:-आदेश:-

दिनांक 25/10/2017

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सोयाबीन का लूज तेल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(V) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.03.2017 को 3.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मेसर्स संभव किराणा स्टोर, जलोदा जागीर, तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ पहुंचा व अपना परिचय दिया । उस समय दुकान पर श्री विनयचन्द्र जैन विक्रेता आम जनता को घी, खाद्य तेल, आदि बेच रहे थे । विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्था का मालिक स्वयं को


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़






होना बताया व स्थाई निवासी मु.पो. जलोदा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ होना बताया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया जहां एक खुले लोहे के पीपे में लगभग 8 किलो खाद्य तेल रखा हुआ था । पूछने पर उक्त खाद्य तेल सोयाबीन का लूज तेल होना बताया । उक्त खाद्य तेल को जांच हेतु देखा, देखने पर मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर मालिक को रूबरू गवाह फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर मौके पर खाद्य तेल का नमूना लेने की लिखित सूचना फार्म नं0 5 ए के द्वारा विक्रेता को दी फार्म नं. 5 ए एक प्रति विक्रेता को देकर दूसरी प्रति पर विक्रेता की प्राप्ति रसीद ली। तत्पश्चात गवाहान की उपस्थिति में स्टील की कोठी में रखे लगभग 10 किलो सोयाबीन तेल लूज में से 1600 ग्राम सोयाबीन तेल लूज हीला मिला कर एक रूप कर एक साफ सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में नमूना वास्ते जांच हेतु खरीदा । जिसकी कीमत विक्रेता को 128 रू0 नकद देकर रसीद प्राप्त की ।

नमूना सोयाबीन तेल को 4 खाली प्लास्टिक की खाली शिशियों में बराबर- बराबर डालकर एयर टाइट सीलबन्द कर व लेबल पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई-847 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कराते हुए चिपकाने सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद प्रत्येक डिब्बे को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को गोद से चिपकाया गया । तत्पश्चात डी0ओ0 प्रतापगढ़ के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक वाई-847 गोंद से गोलाई में चिपकाई, धागे से बांध कर सिल चपड़ी से सीलबन्द मोहर किया गया । चारो नमूना जारों पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई-847 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये, विक्रेता ने पेपर स्लिप व खाकी कागज कॉस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये । नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया । मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द बनाई गई जिसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया, जिन्होंने पढ़, सुन समझकर कर अपने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना सिल किया था जिसका निशान मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द पर अंकित किया । उक्त समस्त कार्यवाही गवाहान की उपस्थिति में की गई ।

कार्यालय में पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 15.03.2017 को देकर रसीद प्राप्त की । 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 15.03.2017 को जमा करा कर रसीद प्राप्त की शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को खाद्य सुरक्षा


मुख्य निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं० 6 की पुस्त पर है। शेष चौथा नमूना मय फार्म नं० 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर दिनांक 14.03.2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को जमा कराई, प्राप्ति रसीद फार्म नं० 6 की पुस्त पर है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया खाद्य तेल सोयाबीन तेल लूज का नमूना There is violation of regulation no.2.3.15(1)(b) of the food safety and standard (prohibition and restrictions on sales) regulation 2011 as the product is sold in loose condition पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया। अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री विनय चन्द्र जैन को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया।

अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया। अप्रार्थी अभियुक्त ने अपने जवाब में बताया कि उसके द्वारा अज्ञातवश लूज तेल बेचा गया। भविष्य में खुली वस्तुएं विक्रय करने हेतु लिखित में आश्वासन दिया। अतः जवाब पेश कर निवेदन किया कि परिवादी का परिवाद निरस्त किया जावे।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जस, स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. संख्या 154/2017/162 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा लूज सोयाबीन तेल का नमूना जांच रिपोर्ट में There is violation of regulation no.2.3.15(1)(b) of the food safety and standard (prohibition and restrictions on sales) regulation 2011 as the product is sold in loose condition होना पाया गया है, अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपने जवाब में आरोप स्वीकार करते हुए उल्लेख किया है कि उसके द्वारा लूज खाद्य तेल बेचा जा रहा था। चूंकि अभियुक्त अप्रार्थी के यहां से लिया गया खाद्य तेल सोयाबीन तेल लूज का नमूना खाद्य विश्लेषक की जांच में the product is sold in loose condition पाया गया है जिससे अप्रार्थी अभियुक्त लूज तेल विक्रय करने का दोषी पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) के तहत

— 2 —

अधिकारी प्रतापगढ़



अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(V) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री विनय चन्द्र जैन पिता अमृतलाल जैन, मेसर्स संभव किराणा स्टोर, जलोदा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ पर दिनांक 14.03.2017 को रखे लूज तेल 8 किलोग्राम को दैनिक बिक्री आधार मानते हुए दोगुना शास्ति अर्थात (8*80*2) कुल 1280/- **Round off 1300/-**(अक्षरे एक हजार तीने सौ रूपये मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान/नगद से राजकोष में निर्णय दिनांक 25.10.2017 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।



(हेमेन्द्र नागर)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2017/242-44

दिनांक 25.10.2017

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री विनय चन्द्र जैन पिता अमृतलाल जैन, मेसर्स संभव किराणा स्टोर, जलोदा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़





(हेमेन्द्र नागर)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़